वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम : कम वजन(2.5kg) के शिशुओं की Home based Newborn Care हेतु आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष – A.2
बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A.2.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर को कम करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विगत वर्षों में राज्य में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी हुई यथा 2005 में शिशु मृत्यु 61 था जो कि कम होकर 2009 में 52 हो गया है । यदि निम्न उदाहरण का अवलोकन किया जाए कि जन्म से 28 दिनों के भीतर सर्वाधिक बच्चों की मृत्यु होती है। संस्थागत प्रसव के क्रम में 52 बच्चों में से मात्र 14 बच्चों को 24 घण्टे के अंदर बचाया जा सकता हैं । शेष बच्चों की मृत्यु समुदाय के स्तर पर हो जाती है । उस मृत्यु को बचाने के लिए आशा को गृह भ्रमण के लिए प्रशिक्षित किया गया है । तथा उन्हें यह भी प्रशिक्षित किया गया है कि गृह भ्रमण (Post natal checkup) किए गए बच्चों की सूचना HMIS के माध्यम से ए.एन.एम. के द्वारा प्रेषित करें। HMIS के आंकड़ों को विश्लेषित करने के क्रम में यह देखा जाता है कि प्रसव पश्चात् भ्रमण की संख्या कम है । इसलिए यह निर्णय लिया गया कि प्रसव पश्चात् बच्चों की देखभाल से संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार 2.5 Kg से कम वजन के बच्चों (Low Birth Weight Baby) के छः बार गृह भ्रमण (PNC) हेतु आशा को 200/– रूपये देय होंगे ।

एक उदाहरण

1 जनवरी, 2009 – 1000 बच्चे जन्म लेते हैं

14 बच्चे जन्म के 24 घंटे के भीतर ही मर जाते हैं।

2 जनवरी, 2009 शेष 986 बच्चे

5 और बच्चे तीन दिनों के भीतर ही मर जाते हैं।

4 जनवरी, 2009 शेष 981 बच्चे

9 और बच्चे 7 दिनों के भीतर ही मर जाते हैं।

8 जनवरी, 2009 शेष 972 बच्चे

9 और बच्चे एक महीने के भीतर ही मर जाते हैं।

29 जनवरी, 2009 शेष 963 बच्चे

बाकी के 11 महीनों में और 15 बच्चों की मौत हो जाती है।

एक वर्ष में कुल 52 मरने वाले बच्चों में से 37 बच्चे पहले महीने में ही मर जाते हैं।

इकाई राशि (रू० में) – ₹200/ 6 प्रसव पश्चात गृह भ्रमण(PNC) 2.5 kg कम वजन के बच्चों के लिए

वित्तीय दिशा निर्देश – यह राशि एक त्रैमासिक हेतु आवंटित की जा रही है । त्रैमासिक के अंत में यदि जिलों में PNC की संख्या में वृद्धि हुई तो राज्य स्वास्थ्य समिति, द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् (Source of Indicator will be HMIS) अगले त्रैमासिक हेतु राशि आवंटित की जा सकती है ।

उपर्युक्त राशि केवल आशा को देय होगा इसके लिए IMNCI कार्यक्रम के तहत प्रसव के पश्चात् गृह भ्रमण के लिए विहित प्रपत्र में गृह भ्रमण का प्रतिवेदन आशा संबंधित ए.एन.एम को दे देंगी, तथा इस प्रपत्र की संख्या का उल्लेखित करते हुए आशा अपने मानदेय हेतु प्रखण्ड स्तर पर समर्पित किए जाने वाले मांग प्रपत्र को जमा करेंगी । जिसके आधार पर ₹200/– कभुगतान किया जाएगा। ए.एन.एम की यह जवाबदेही होगी कि IMNCI प्रपत्र को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के यहां समर्पित कर देंगे। जिससे आवश्यकता पड़ने पर आशा के द्वारा समर्पित मांग पत्र में उल्लेखित IMNCI प्रपत्र की संख्या का मिलान किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर– 9431005972,